

(भारत के राजपत्र के भाग I, खण्ड-2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 14013/05/2015-अ.भा.से.।।।


भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक: 09 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के छत्तीसगढ़ संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख/तारीखों से स्थायी करते हैं।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम सर्वश्री/श्रीमती	बैच	स्थायीकरण की नियत तारीख
1.	महादेव कावरे	2008	02.11.2016
2.	नरेंद्र कुमार दुग्गा	2008	02.11.2016
3.	श्यामलाल धावडे	2008	02.11.2016
4.	हीरालाल नायक	2008	02.11.2016
5.	नीलकंठ टीकाम	2008	29.12.2016
6.	चंद्रकांत उडके	2008	02.11.2016
7.	सुनील कुमार जैन	2009	02.11.2016
8.	कुमार लाल चौहान	2009	02.11.2016
9.	बिपिन मांझी	2009	02.11.2016
10.	डोमन सिंह	2009	02.11.2016
11.	कबीर दास कुंजाम	2009	02.11.2016


(राजेश कुमार यादव)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद, (हरियाणा).